

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 1970/चैत्र 20, 1892

No. 139] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 1970/CHAITRA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 9th April, 1970

S.O. 1364.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S. O. 820/18A/IDRA/69 dated 14th February 1969 the management of the Industrial undertaking known as New Maneckchock Spinning and Weaving Company Ltd. had been taken over by the Authorised Controller referred to in the order mentioned above for a period upto and inclusive of 13th February, 1970;

And whereas the Central Government being of the opinion that it was expedient in public interest so to do, by Order of the Government of India, Ministry of Foreign Trade, No. S.O. 616 dated 13th February 1970 directed that the aforesaid notified Order dated 14th February 1969 shall continue to have effect upto and inclusive of 23rd March, 1970;

And whereas the Central Government being of the opinion that it was expedient in public interest so to do by Order of the Government of India, Ministry of Foreign Trade No. S.O. 1101 dated 18th March, 1970 directed that the aforesaid notified Order dated 14th February, 1969 shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of 9th April, 1970;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of one year that is up to and inclusive of the 9th April, 1971;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 9th April, 1971.

[No. F. 9(115)/69-Tex(G).]

C. S. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल 1970

का० आ० 1364.—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 620/18ए/आई० डी० आर० ए०/69, दिनांक 14 फरवरी, 1969 द्वारा न्यू मानक बौक स्पनिंग एण्ड वीविंग कं० लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरोक्त आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा 13 फरवरी, 1970 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत था कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन था अतः भारत सरकार के विदेशी व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 616, दिनांक 13 फरवरी, 1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश दिया था कि 14 फरवरी, 1969 का उपरोक्त अधिसूचित आदेश, 23 मार्च, 1970 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल थी, की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत था कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन था, अतः भारत सरकार के विदेशी व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1101, दिनांक 18 मार्च, 1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश दिया था कि दिनांक 14 फरवरी, 1969 का उपरोक्त अधिसूचित आदेश 9 अप्रैल, 1970 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल थी, की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 9 अप्रैल, 1971 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बना रहना चाहिए;

अतः, अब, औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ए की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि ऊपर वर्णित प्रथम आदेश का प्रभाव 9 अप्रैल, 1971 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए और बना रहेगा ।

[सं० फा० 9 (115)/69-टैक्स (जी)]

सी० एस० रामचन्द्रन, अवर सचिव ।